वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 जून, 2016-आषाढ़ 3, शके 1938

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

उप-नाम परिवर्तन

मैं, योगेन्द्र कुमार शर्मा आ. श्री केदार नाथ, निवासी राजा मोहल्ला, होशंगाबाद का निवासी हूँ मेरे सभी शैक्षणिक दस्तावेजों में योगेन्द्र कुमार शर्मा नाम अंकित चला आ रहा है तथा अन्य शासकीय दस्तावोजों में योगेन्द्र कुमार रावत नाम अंकित है व्यवहारिक रूप से भी मुझे योगेन्द्र कुमार रावत के नाम से जाना एवं पहचाना जाता है इस नाम के विरोधाभाष को दूर करने के लिये मैं, योगेन्द्र कुमार शर्मा के स्थान पर योगेन्द्र कुमार रावत सभी शासकीय एवं अशासकीय व अन्य दस्तावेजों में अपना नाम परिवर्तित करना चाहता हूँ.

अत: अब मुझे योगेन्द्र कुमार शर्मा के स्थान पर योगेन्द्र कुमार रावत के नाम से जाना एवं पहचाना जावें.

पुराना नाम :

(योगेन्द्र कुमार शर्मा)

नया नाम :

(योगेन्द्र कुमार रावत)

राजा मोहल्ला होशंगाबाद.

(173-बी.)

CHANGE OF NAME

I, Krishna Kant Gupta S/o Late Shri Jagdish Prasad Gupta, Resident of B-3, Gopal Vihar, Gopal Bagh, Near Damoh Naka, Jabalpur (M.P.), hereby change my name as Krushna kaant Gupta vide this affidavit sworn and signed before public notary. Hereafter I will be known with my new name Krushna kaant Gupta in all records concered.

Old Name:

(KRISHNA KANT GUPTA)

New Name :

(KRUSHNA KAANT GUPTA)

(174-B.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मैं बिसराम सिंह कुशवाह Bisaram Singh kushwah पुत्र स्व. श्री हरगोविन्द सिंह कुशवाह, निवासी-ग्राम सारसवारी का पुरा, तहसील कैलारस, जिला मुरैना म.प्र. है. चूंकि मेरे सर्विस रिकार्ड में लिपिकीय त्रुटिवश मेरा नाम

विश्राम सिंह कुशवाह Vishram Singh kushwah हो गया है जो कि त्रुटिपूर्ण है. अतः भविष्य में मुझे मेरे सही नाम शैक्षणिक प्रमाणपत्रों के अनुसार बिसराम सिंह कुशवाह पुत्र स्व. श्री हरगोविन्द सिंह कुशवाह अंग्रेजी में Bisaram Singh kushwah से ही जाना एवं सम्बोधन किया जावे एवं सेवा अभिलेख में हिन्दी त्रुटिपूर्ण नाम विश्राम सिंह कुशवाह के स्थान पर बिसराम सिंह कुशवाह अंग्रेजी में त्रुटिपूर्ण नाम Vishram Singh kushwah के स्थान पर Bisaram Singh kushwah स्थापित किया जावे. एतद्नुसार मुझे सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम :

(विश्राम सिंह कुशवाह)

नया नाम :

(बिसराम सिंह कुशवाह)

बंगला नं. E/2, के पीछे कॉलोनी, मेला ग्राउड थाने के सामने रेस कोर्स रोड, ग्वालियर (म.प्र.).

(175-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम राजेन्द्र कुमार पिता स्व. श्री भीलूसा गुप्ता के स्थान पर राजेन्द्र कुमार गुप्ता पिता स्व. श्री भीलूसा गुप्ता है. मुझे इसी नाम से जाना, पहचाना जाता है तथा यह दोनों नाम मेरे एक ही व्यक्ति के हैं.

पुराना नाम :

(राजेन्द्र कुमार)

भीलूसा गुप्ता.

नया नाम :

(राजेन्द्र कुमार गुप्ता)

(176-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मेरे हाई स्कूल की अंकसूची में मेरा नाम रमेश कुमार नागवानी तथा पेनकार्ड में रमेश नागवानी अंकित है. जिसे अब मैं परिवर्तित कर रमेश सिंह नागदेव रखना चाहता हूँ. भविष्य में मुझे इसी नये नाम रमेश सिंह नागदेव के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(रमेश कुमार नागवानी/रमेश नागवानी)

नया नाम :

(रमेश सिंह नागदेव)

पता—सखी बिहार कॉलोनी, सिकन्दर कम्पू, लश्कर, ग्वालियर.

(177-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मेरे शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्रों में मेरा नाम कु. ऊषा कट्ठल अंकित है विवाह पश्चात् मेरा नाम सौम्या नागदेव था. जिसे अब मैं परिवर्तित कर सौम्या कौर नागदेव रखना चाहती हूँ. भविष्य में मुझे इसी नये नाम सौम्या कौर नागदेव के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(कु. ऊषा कट्ठल)

नया नाम :

(सौम्या कौर नागदेव)

W/o रमेश सिंह नागदेव,

पता—सखी बिहार कॉलोनी, सिकन्दर कम्पू, लश्कर, ग्वालियर.

(178-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मेरे पुराने पासपोर्ट क्रमांक F3398193 जो कि दिनांक 07-06-2005 को भोपाल पासपोर्ट कार्यालय से जारी हुआ था उसमें मेरा नाम अरविंद श्रीवास्तव (Arvind Shrivastava) अंकित है. कुछ समय उपरांत मैंने अपना नाम परिवर्तित करके अरविंद कुमार श्रीवास्तव (Arvind Kumar Shrivastava) रख लिया है जो कि मेरे विभिन्न दस्तावेजों एवं सर्विस रिकॉर्ड में भी अंकित है. अब भविष्य में मुझे (Arvind Kumar Shrivastava) के नाम से जाना-पहचाना जावें.

पुराना नाम :

(ARVIND SHRIVASTAVA)

नया नाम :

(ARVIND KUMAR SHRIVASTAVA)

पिता—रामस्वरूप श्रीवास्तव,

निवासी—कृष्णपुरी, मुरार, ग्वालियर. (म.प्र.).

(179-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्वविदित हो कि पुष्पेन्द्र सिंह, निवासी मोहरकर की गली, नया बाजार, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.) ने सरस्वती शिशुगृह ग्राम अवस्थी उज्जरपार, गोरखपुर (उ.प्र.) से एक कन्या (अनुपमा) को गोद लिया है. मैंने अपनी पुत्री का नाम अनुपमा से परिवर्तित कर कणिका सिंह कर दिया है, और अब भविष्य में वह कणिका सिंह के नाम से ही जानी, पहचानी जावेगी.

सूचनाकर्ता-

पुष्पेन्द्र सिंह,

निवासी-मोहरकर की गली, नया बाजार,

लश्कर, ग्वालियर(म.प्र.).

(180-बी.)

CHANGE OF NAME

I, HARSHALATA PATHAK here by declare that I have change my name as HARSHA SANJAY KOTIA W/o SANJAY KOTIA so, from now and in future I will be known by my new name HARSHA SANJAY KOTIA.

Old Name:

(HARSHALATA PATHAK)

New Name :

(HARSHA SANJAY KOTIA)

Add—Flat No. 203-204, Krish Villa
5-B, Brajeshvari Ext. Near, Pipliyahana,
Indore (M.P.).

(181-B.)

CHANGE OF NAME

I, SARFARAZ AHMED MEMAN here by declare that I have change my name as SARFRAZ MEMAN S/o AEHMAD MEMAN So, from now and in future I will be known by my new name.

Old Name:

(SARFARAZ AHMED MEMAN)

New Name :

(SARFRAZ MEMAN)

S/O AEHMAD MEMAN

Add—33-34-G, Green Park,
302, fatima Apartment Bank,
Dhar Road, Indore (M.P.).

(182-B.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को यह सूचित किया जाता है कि, हमारे पक्षकार श्री पवन कुमार अग्रवाल पिता स्व. श्री कैलाशचन्द्र जी अग्रवाल एवं श्री अजित कुमार अग्रवाल पिता स्व. श्री कैलाशचन्द्र जी अग्रवाल, दोनों निवासी-17/1, साउथ तुकोगंज, इन्दौर रजिस्टर्ड भागीदारी फर्म श्री महावीर फेब्रिकेटर्स-पंजीयन संख्या 03/27/01/0223/15, में श्री सुशील कुमार अग्रवाल पिता स्व. श्री कैलाशचन्द्र जी अग्रवाल, निवासी-17/1, साउथ तुकोगंज, इन्दौर के साथ भागीदार थे. उक्त दोनों पवन कुमार अग्रवाल एवं अजीत कुमार अग्रवाल ने दिनांक 11-04-2013 से उक्त भागीदारी फर्म से सेवानिवृत्त होने की इच्छा जाहिर की जिसे 11-04-2013 को निष्पादित भागीदारी दस्तावेज के माध्यम से स्वीकार किया गया. दिनांक 11-04-2013 को ही श्री प्रदीप श्रीवास पिता स्व. श्रीराम शरण श्रीवास और श्री राधोश्याम श्रीवास पिता स्व. श्री रामशरण श्रीवास दोनों, निवासी प्लाट क्रमांक 515, सेक्टर 3, पीथमपुर, जिला धार ने श्री सुशील कुमार अग्रवाल पिता स्व. श्री कैलाशचन्द्र अग्रवाल, निवासी-17/1, साउथ तुकोगंज, इन्दौर के साथ उक्त भागीदारी फर्म में भागीदार बनने की इच्छा जाहिर की जिसे 11-04-2013 को निष्पादित भागीदारी दस्तावेज के माध्यम से स्वीकार किया गया.

विदित हो कि, दिनांक 11-04-2013 से श्री महावीर फेब्रिकेटर्स में निम्न भागीदार हैं:-

1. श्री प्रदीप श्रीवास, 2. श्री राधेश्याम श्रीवास, 3. श्री सुशील कुमार अग्रवाल.

जे. सी. शर्मा,

(एडवोकेट)

28, काशीबाग कॉलोनी, धार (म.प्र.).

(183-बी.)

सार्वजनिक सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, फर्म मेसर्स ग्लोबल हाईट्स कल्याण धर्मशाला कॉम्पलेक्स, जवाहर रोड, छतरपुर, मध्यप्रदेश के अभी छह पार्टनर हैं जिसमें-1. पंकज अग्रवाल तनय स्व. श्री प्रयागनारायण अग्रवाल, निवासी बुन्लेलखण्ड कॉम्पलेक्स, जवाहर रोड, छतरपुर मध्यप्रदेश,

2. श्री सुरेश अग्रवाल तनय स्व. श्री बाबूलाल अग्रवाल, निवासी जयनगर यादव कॉलोनी, जबलपुर मध्यप्रदेश, 3. श्री शरद अग्रवाल तनय स्व. श्री बाबूलाल अग्रवाल, निवासी के-4, गोपाल बिहार, दमोह नाका, जबलपुर मध्यप्रदेश, 4. श्री महेन्द्र अग्रवाल तनय स्व. श्री सुन्दरलाल अग्रवाल, निवासी रामाजीनगर, छतरपुर, मध्यप्रदेश, 5. श्री देवेन्द्र अग्रवाल तनय स्व. श्री सुन्दरलाल अग्रवाल, निवासी रामाजीनगर, छतरपुर, मध्यप्रदेश, 6. श्री अखिलेश असाटी तनय श्री शिवचरन असाटी, निवासी असाटी मुहल्ला, छतरपुर मध्यप्रदेश के नाम शामिल हैं लेकिन अब इस फर्म मैसर्स ग्लोबल हाईट्स, छतरपुर, मध्यप्रदेश के पार्टनरशिप से श्री अखिलेश असाटी तनय श्री शिवचरन असाटी स्वेच्छा से अलग हो रहे हैं. अब आज दिनांक 08-02-2016 तक किसी व्यक्ति या फर्म/कम्पनी का श्री अखिलेश असाटी द्वारा फर्म मेसर्स ग्लोबल हाईट्स के नाम से लेन-देन बाकी हो, तो 15 दिवस तक अपना दावा प्रस्तुत करें. इसके बाद किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं किया जाएगा.

द्वारा—मेसर्स ग्लोबल हाईट्स
शरद कुमार अग्रवाल,
(पार्टनर)
1, कल्याण धर्मशाला कॉम्पलेक्स, जवाहर रोड,
छतरपुर (म.प्र.).

(184-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मेसर्स शिखर कन्स्ट्रक्शन पता-85, कान्यकुब्ज नगर, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्रमांक 03/27/03/00008/10, दिनांक 16-04-2010 को पंजीकृत भागीदारी फर्म जिसके भागीदार (1) श्री दिनेश जोशी पिता प्रेम नारायण जोशी, (2) जवाहर पिता रामचंद्र कुमरावत, (3) प्रेम नारायण पिता घासीलाल जोशी, (4) खुशनूद परवेज अंसारी पिता मो. इलियास अंसारी थे तत्पश्चात दिनांक 26-04-2016 को भागीदारी संशोधन लेख द्वारा-(1) जवाहर पिता रामचंद्र कुमरावत, (2) प्रेम नारायण पिता घासीलाल जोशी भागीदारी फर्म मेसर्स शिखर कन्स्ट्रक्शन पता-85, कान्यकुब्ज नगर, इन्दौर से पृथक् हो गये हैं इन भागीदारों ने फर्म मेसर्स शिखर कन्स्ट्रक्शन, पता-85, कान्यकुब्ज नगर, इंदौर से अपना पूर्ण हिसाब-किताब कर लिया है तथा कुछ लेन-देन नहीं है. उक्त फर्म के संबंध में कोई भी व्यक्ति इनसे फर्म का किसी भी प्रकार का लेन-देन न करें, यदि करता है तो उसका जिम्मेदार वह स्वयं होगा. सो विदित हो.

मेसर्स शिखर कन्स्ट्रक्शन,
तर्फे—**दिनेश जोशी,**
(पार्टनर)
पता-85, कान्यकुब्ज नगर, इंदौर (म.प्र.).

(185-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मेसर्स वैष्णव एच. आर. और लीगल कंसलटेंसी सर्विस, पीटीएस चौक, व्यंकट बटालियन, रीवा म.प्र. पंजीयन क्रमांक 00121, दिनांक 18-10-2014 के द्वारा पंजीकृत फर्म में श्रीमती राखी द्विवेदी एवं श्री देवेन्द्र धर द्विवेदी पार्टनर हैं दिनांक 23-05-2016 से श्री देवेन्द्र धर द्विवेदी पृथक् हो रहे हैं दिनांक 23-05-2016 से श्री तरूणेन्द्र धर द्विवेदी सम्मिलित हो रहे हैं. निकलने वाले पार्टनर की लेनदारी/देनदारी शेष नहीं है. उक्त के संबंध में किसी व्यक्ति को आपत्ति हो, तो 7 दिवस के अंदर इस पते पर पीटीएस चौक, व्यंकट बटालियन, रीवा म.प्र. में सूचित करें.

मेसर्स -वैष्णव एच. आर. और लीगल कंसलटेंसी सर्विस,
राखी द्विवेदी,
(पार्टनर)
पीटीएस चौराहा, व्यंकट बटालियन, रीवा (म.प्र.).

(186-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, फर्म मैसर्स एस. आर. कंस्ट्रक्शन स्थित चिक संतर, मुरार, ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक 03/42/01/00193/09, दिनांक 23-03-2009 हो. जिसमें दिनांक 01-04-2015 को भागीदार श्री मनोज समाधिया पुत्र श्री एस. एस. समाधिया एवं हरीओम शर्मा पुत्र श्री राधेलाल शर्मा अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

फर्म-एस. आर. कंस्ट्रक्शन,
राजकुमार समाधिया,
चिक संतर, मुरार, ग्वालियर (म.प्र.).

(187-बी.)

NOTICE

Notice is hereby given that the firm "M/s INDICON REALTORS" of gwalior vide Reg. No. 02/42/01/00024/13, year 2013-14, Date of Registration 03/05/2013, has undergone the changes in its constitution of firm.

Shri Pramod Kumar Maloo S/o Shri G. L. Maloo, address 12 B, Morar Enclave Colony, Gwalior has been admitted as a new partner w.e.f. 14-09-2015. So, now total four partner will continue the buniess named 1. Sanjay Arora, 2. Deepak Kumar Singhal, 3. Sanjay Parmar, 4. Pramod Kumar Maloo with profit and loss percentage of 28%, 40%, 22% & 10% respectively.

M/s INDICON REALTORS

SANJAY ARORA,

(Partner)

204-Global Apartment,

Near Income Tax Office, City Centre,

Gwalior-474003 (M.P.).

(188-B.)

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा

आगर-मालवा, दिनांक 07 मई, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारिणी समिति,

द्वारा- अध्यक्ष श्री बालुसिंह पिता भवंरसिंह,

हरिजन मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., चिकली गोयल, तह. आगर,

(पंजीयन क्रमांक 599, दिनांक 26-05-1992).

विषय:-मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

विषयान्तर्गत सहायक मत्स्य अधिकारी आगर-मालवा के द्वारा प्रस्तुत उनके प्रतिवेदन क्रमांक 145, दिनांक 02 मई, 2016 एवं प्रतिवेदन क्र. 146, दिनांक 07 मई, 2016 के द्वारा अवगत कराया है कि आपकी संस्था को निम्नांकित कारणों से परिसमापन में लाया जाए:-

1. संस्था के सदस्यों द्वारा संस्था संचालन में रुचि नहीं ली जा रही है.
2. संस्था को आवंटित तालाब में मत्स्यपालन का कार्य दबंग लोगों से करवाया जा रहा है.
3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में विफल रही है.

अत: मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा, सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) एवं सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-1999/15/1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अंदर कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 08 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधान कारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जावेगा की आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं तथा आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 07 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

आर. एस. गौर,

(462) उप-पंजीयक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा

विदिशा, दिनांक 20 मई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/673.-कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., छोटी रूसल्ली, तहसील लटेरी के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 25 जुलाई, 2009 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण इस

सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या, छोटी रूसल्ली, तहसील लटेरी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन "कारण बताओ सूचना-पत्र" क्रमांक/परिसमापन/2016/263, विदिशा, दिनांक 29 फरवरी, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है. उपरोक्त कारण से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., छोटी रूसल्ली, तहसील लटेरी को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., छोटी रूसल्ली, तहसील लटेरी, पंजीयन क्रमांक डी.आर/व्ही.डी.एस./745, दिनांक 25 जुलाई, 2009 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखंड लटेरी को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(464)

विदिशा, दिनांक 20 मई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/674.-कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नैनवास कलॉ, तहसील लटेरी के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नैनवास कलॉ, तहसील लटेरी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन "कारण बताओ सूचना-पत्र" क्रमांक/परिसमापन/2016/278, विदिशा, दिनांक 1 मार्च, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है. उपरोक्त कारण से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नैनवास कलॉ, तहसील लटेरी को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नैनवास कलॉ, तहसील लटेरी, पंजीयन क्रमांक डी.आर/व्ही.डी.एस./773, दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखंड लटेरी को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(464-A)

विदिशा, दिनांक 20 मई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/675.-कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., परसौरा, तहसील सिरोंज के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 10 सितम्बर, 2012 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी

संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., परसौरा, तहसील सिरोंज को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन ''कारण बताओ सूचना-पत्र" क्रमांक/परिसमापन/2016/280, विदिशा, दिनांक 01 मार्च, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है. उपरोक्त कारण से महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., परसौरा, तहसील सिरोंज को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., परसौरा, तहसील सिरोंज, पंजीयन क्रमांक डी.आर/ व्ही.डी.एस./798, दिनांक 10 सितम्बर, 2012 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखंड सिरोंज को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(464-B)

विदिशा, दिनांक 20 मई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/676.-कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पामाखेड़ी, तहसील सिरोंज के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 18 नवम्बर, 2010 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पामाखेड़ी, तहसील सिरोंज को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन ''कारण बताओ सूचना-पत्र" क्रमांक/परिसमापन/2016/279, विदिशा, दिनांक 01 मार्च, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है. उपरोक्त कारण से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पामाखेड़ी, तहसील सिरोंज को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पामाखेड़ी, तहसील सिरोंज, पंजीयन क्रमांक डी.आर/ व्ही. डी.एस./766, दिनांक 18 नवम्बर, 2010 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखंड सिरोंज को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(464-C)

विदिशा, दिनांक 20 मई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/677.-कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., तरवारिया, तहसील सिरोंज के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 11 सितम्बर, 2012 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था

ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., तरवारिया, तहसील सिरोंज को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन "कारण बताओ सूचना-पत्र" क्रमांक/परिसमापन/2016/281, विदिशा, दिनांक 01 मार्च, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है. उपरोक्त कारण से महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., तरवारिया, तहसील सिरोंज को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., तरवारिया, तहसील सिरोंज, पंजीयन क्रमांक डी. आर/ व्ही.डी.एस./799, दिनांक 11 सितम्बर, 2012 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखंड सिरोंज को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(464-D)

विदिशा, दिनांक 23 मई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/686.-कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., थानावीरान, तहसील लटेरी के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 10 अक्टूबर, 2002 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., थानावीरान, तहसील लटेरी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन "कारण बताओ सूचना-पत्र" क्रमांक/परिसमापन/2016/267, विदिशा, दिनांक 29 फरवरी, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है. उपरोक्त कारण से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., थानावीरान, तहसील लटेरी को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., थानावीरान, तहसील लटेरी, पंजीयन क्रमांक ए.आर/ व्ही. डी.एस./640, दिनांक 10 अक्टूबर, 2002 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखंड लटेरी को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 23 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(464-E)

विदिशा, दिनांक 23 मई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/687.-कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चौपड़ा, तहसील लटेरी के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 10 अक्टूबर, 2002 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था

में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चौपड़ा तहसील लटेरी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन ''कारण बताओ सूचना-पत्र'' क्रमांक/परिसमापन/2016/266, विदिशा, दिनांक 29 फरवरी, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है. उपरोक्त कारण से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चौपड़ा, तहसील लटेरी को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चौपड़ा तहसील लटेरी, पंजीयन क्रमांक डी.आर/ व्ही.डी.एस./635, दिनांक 10 अक्टूबर, 2002 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखंड लटेरी को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 23 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(464-F)

विदिशा, दिनांक 23 मई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/688.-कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धूमगिर, तहसील लटेरी के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 10 दिसम्बर, 2002 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धूमगिर, तहसील लटेरी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन ''कारण बताओ सूचना-पत्र'' क्रमांक/परिसमापन/2016/268, विदिशा, दिनांक 29 फरवरी, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है. उपरोक्त कारण से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धूमगिर, तहसील लटेरी को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धूमगिर, तहसील लटेरी, पंजीयन क्रमांक डी.आर/ व्ही. डी.एस./655, दिनांक 10 दिसम्बर, 2002 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखंड लटेरी को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 23 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(464-G)

विदिशा, दिनांक 23 मई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/689.-कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पुरवाई, तहसील बासौदा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 17 अक्टूबर, 2012 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है.

इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पुरवाई, तहसील बासौदा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन ''कारण बताओ सूचना-पत्र'' क्रमांक/परिसमापन/2016/277, विदिशा, दिनांक 01 मार्च, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है. उपरोक्त कारण से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पुरवाई, तहसील बासौदा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पुरवाई, तहसील बासौदा, पंजीयन क्रमांक डी.आर/व्ही.डी.एस./802, दिनांक 17 अक्टूबर, 2012 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखंड बासौदा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 23 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(464-H)

विदिशा, दिनांक 23 मई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/690.-कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ठर्र, तहसील विदिशा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 28 मार्च, 2006 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ठर्र, तहसील विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन ''कारण बताओ सूचना-पत्र'' क्रमांक/परिसमापन/2016/273, विदिशा, दिनांक 01 मार्च, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है. उपरोक्त कारण से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ठर्र, तहसील विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ठर्र, तहसील विदिशा, पंजीयन क्रमांक डी.आर./ व्ही.डी. एस./715, दिनांक 28 मार्च, 2006 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री जी. के. पंजाबी, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक(अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, विदिशा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 23 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(464-I)

विदिशा, दिनांक 23 मई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/691.-कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गुरारिया, तहसील विदिशा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 17 सितम्बर, 2008 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गुरारिया, तहसील विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन ''कारण बताओ सूचना-पत्र'' क्रमांक/परिसमापन/2016/274, विदिशा,

दिनांक 01 मार्च, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है. उपरोक्त कारण से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गुरारिया, तहसील विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गुरारिया, तहसील विदिशा, पंजीयन क्रमांक डी.आर./ व्ही. डी.एस./736, दिनांक 17 सितम्बर, 2008 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री जी. के. पंजाबी, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक(अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, विदिशा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 23 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(464-J)

विदिशा, दिनांक 23 मई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/692.-कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भाटनी, तहसील विदिशा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 04 मई, 2005 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भाटनी, तहसील विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन "कारण बताओ सूचना-पत्र" क्रमांक/परिसमापन/2016/272, विदिशा, दिनांक 01 मार्च, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है. उपरोक्त कारण से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भाटनी, तहसील विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भाटनी, तहसील विदिशा, पंजीयन क्रमांक डी.आर./ व्ही.डी.एस./709, दिनांक 04 मई, 2005 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री जी. के. पंजाबी, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक(अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, विदिशा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 23 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(464-K)

विदिशा, दिनांक 23 मई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/693.-कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हामिदपुर, तहसील त्योंदा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 30 मार्च, 2013 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हामिदपुर, तहसील त्योंदा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन "कारण बताओ सूचना-पत्र" क्रमांक/परिसमापन/2016/282, विदिशा, दिनांक 01 मार्च, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है. उपरोक्त कारण से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हामिदपुर, तहसील त्योंदा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

Aceer (17-6-2016)

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हामिदपुर, तहसील त्योंदा, पंजीयन क्रमांक डी.आर./ व्ही. डी.एस./863, दिनांक 30 मार्च, 2013 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री डी. के. दुबे, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक(अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, विदिशा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 23 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(464-L)

विदिशा, दिनांक 23 मई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/694.-कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सेमरा, तहसील त्योंदा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 30 मार्च, 2013 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सेमरा, तहसील त्योंदा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन "कारण बताओ सूचना-पत्र" क्रमांक/परिसमापन/2016/294, विदिशा, दिनांक 02 मार्च, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है. उपरोक्त कारण से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सेमरा, तहसील त्योंदा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सेमरा, तहसील त्योंदा, पंजीयन क्रमांक डी.आर./ व्ही.डी.एस./873, दिनांक 30 मार्च, 2013 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री डी. के. दुबे, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक(अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, विदिशा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 23 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(464-M)

विदिशा, दिनांक 23 मई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/695.-कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., महोली, तहसील त्योंदा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 30 मार्च, 2013 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., महोली, तहसील त्योंदा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन "कारण बताओ सूचना-पत्र" क्रमांक/परिसमापन/2016/295, विदिशा, दिनांक 02 मार्च, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है. उपरोक्त कारण से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., महोली, तहसील त्योंदा परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., महोली, तहसील त्योंदा, पंजीयन क्रमांक डी.आर./

व्ही.डी.एस./864, दिनांक 30 मार्च, 2013 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री डी. के. दुबे, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक(अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, विदिशा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 23 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(464-N)

विदिशा, दिनांक 23 मई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/696.-कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., त्योंदा, तहसील त्योंदा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 08 फरवरी, 2013 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., त्योंदा, तहसील त्योंदा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन "कारण बताओ सूचना-पत्र" क्रमांक/परिसमापन/2016/298, विदिशा, दिनांक 02 मार्च, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है. उपरोक्त कारण से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., त्योंदा, तहसील त्योंदा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., त्योंदा, तहसील त्योंदा, पंजीयन क्रमांक डी.आर/ व्ही.डी. एस./829, दिनांक 08 फरवरी, 2013 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री डी. के. दुबे, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक(अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, विदिशा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 23 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(464-O)

विदिशा, दिनांक 23 मई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/697.-कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., विषधा, तहसील त्योंदा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 08 फरवरी, 2013 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., विषधा, तहसील त्योंदा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन "कारण बताओ सूचना-पत्र" क्रमांक/परिसमापन/2016/299, विदिशा, दिनांक 02 मार्च, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है. उपरोक्त कारण से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., विषधा, तहसील त्योंदा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., विषधा, तहसील त्योंदा, पंजीयन क्रमांक डी.आर/ व्ही. डी.एस./828, दिनांक 08 फरवरी, 2013 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री डी. के. दुबे, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक(अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, विदिशा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 23 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(464-P)

Acer (17-6-2016)

विदिशा, दिनांक 23 मई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/698.-कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रसूलपुर, तहसील त्योंदा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 08 फरवरी, 2013 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रसूलपुर, तहसील त्योंदा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन ''कारण बताओ सूचना-पत्र" क्रमांक/परिसमापन/2016/300, विदिशा, दिनांक 02 मार्च, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है. उपरोक्त कारण से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रसूलपुर, तहसील त्योंदा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रसूलपुर, तहसील त्योंदा, पंजीयन क्रमांक डी.आर/ व्ही. डी.एस./832, दिनांक 08 फरवरी, 2013 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री डी. के. दुबे, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक(अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, विदिशा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 23 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(464-Q)

विदिशा, दिनांक 23 मई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/699.-कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मदनयाई, तहसील त्योंदा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 26 फरवरी, 2013 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मदनयाई, तहसील त्योंदा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन ''कारण बताओ सूचना-पत्र" क्रमांक/परिसमापन/2016/301, विदिशा, दिनांक 02 मार्च, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है. उपरोक्त कारण से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मदनयाई, तहसील त्योंदा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मदनयाई, तहसील त्योंदा, पंजीयन क्रमांक डी.आर/ व्ही. डी.एस./844, दिनांक 26 फरवरी, 2013 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री डी. के. दुबे, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक(अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, विदिशा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 23 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(464-R)

विदिशा, दिनांक 23 मई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/700.-कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अमारी, तहसील त्योंदा के द्वारा उसके

पंजीयन दिनांक 28 फरवरी, 2013 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अमारी, तहसील त्योंदा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन "कारण बताओ सूचना-पत्र" क्रमांक/परिसमापन/2016/302, विदिशा, दिनांक 02 मार्च, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है. उपरोक्त कारण से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अमारी, तहसील त्योंदा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अमारी, तहसील त्योंदा, पंजीयन क्रमांक डी.आर/ व्ही. डी.एस./846, दिनांक 28 फरवरी, 2013 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री डी. के. दुबे, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक(अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, विदिशा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 23 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(464-S)

विदिशा, दिनांक 23 मई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/701.-कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खिरिया, तहसील त्योंदा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 13 मार्च, 2013 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खिरिया, तहसील त्योंदा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन "कारण बताओ सूचना-पत्र" क्रमांक/परिसमापन/2016/303, विदिशा, दिनांक 02 मार्च, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है. उपरोक्त कारण से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खिरिया, तहसील त्योंदा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खिरिया, तहसील त्योंदा, पंजीयन क्रमांक डी.आर/ व्ही. डी.एस./856, दिनांक 13 मार्च, 2013 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री डी. के. दुबे, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक(अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, विदिशा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 23 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(464-T)

विदिशा, दिनांक 30 मई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/722.-कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अनूपपुर, तहसील सिरोंज के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 05 दिसम्बर, 1998 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके

संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अनूपपुर, तहसील सिरोंज को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन ''कारण बताओ सूचना-पत्र'' क्रमांक/परिसमापन/2016/318, विदिशा, दिनांक 03 मार्च, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है. उपरोक्त कारण से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अनूपपुर, तहसील सिरोंज को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अनूपपुर, तहसील सिरोंज, पंजीयन क्रमांक ए.आर./व्ही.डी.एस./575, दिनांक 05 दिसम्बर, 1998 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री अनिल सक्सेना, उप-अंकेक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक(अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, विदिशा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(464-U)

विदिशा, दिनांक 30 मई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/723.-कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., देवपुर, तहसील सिरोंज के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 05 दिसम्बर, 1998 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., देवपुर, तहसील सिरोंज को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन ''कारण बताओ सूचना-पत्र'' क्रमांक/परिसमापन/2016/319, विदिशा, दिनांक 03 मार्च, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है. उपरोक्त कारण से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., देवपुर, तहसील सिरोंज को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., देवपुर, तहसील सिरोंज, पंजीयन क्रमांक ए.आर./व्ही.डी.एस./568, दिनांक 05 दिसम्बर, 1998 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री अनिल सक्सेना, उप-अंकेक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक(अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, विदिशा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(464-V)

विदिशा, दिनांक 30 मई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/724.-कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दुरंग, तहसील सिरोंज के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 10 अक्टूबर, 2002 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दुरंग,

तहसील सिरोंज को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन ''कारण बताओ सूचना-पत्र'' क्रमांक/परिसमापन/2016/324, विदिशा, दिनांक 03 मार्च, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है. उपरोक्त कारण से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दुरंग, तहसील सिरोंज को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दुरंग, तहसील सिरोंज, पंजीयन क्रमांक डी.आर/ व्ही.डी. एस./638, दिनांक 10 अक्टूबर, 2002 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री अनिल सक्सेना, उप-अंकेक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक(अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, विदिशा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(464&W)

विदिशा, दिनांक 30 मई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/725.-कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बाबुलखेड़ी, तहसील सिरोंज के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 12 मई, 2004 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बाबुलखेड़ी, तहसील सिरोंज को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन ''कारण बताओ सूचना-पत्र'' क्रमांक/परिसमापन/2016/332, विदिशा, दिनांक 03 मार्च, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है. उपरोक्त कारण से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बाबुलखेड़ी, तहसील सिरोंज को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बाबुलखेड़ी, तहसील सिरोंज, पंजीयन क्रमांक डी.आर./ व्ही.डी.एस./684, दिनांक 12 मई, 2004 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री अनिल सक्सेना, उप-अंकेक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक(अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, विदिशा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(464-X)

विदिशा, दिनांक 30 मई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/726.-कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., विशनपुर, तहसील सिरोंज के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 07 जनवरी, 2004 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., विशनपुर, तहसील सिरोंज को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन ''कारण बताओ सूचना-पत्र'' क्रमांक/परिसमापन/2016/331, विदिशा, दिनांक 03 मार्च, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है. उपरोक्त कारण से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., विशनपुर, तहसील सिरोंज को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

Aver (17-6-2016)

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., विशनपुरी, तहसील सिरोंज, पंजीयन क्रमांक डी.आर/ व्ही. डी.एस./673, दिनांक 07 जनवरी, 2004 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री अनिल सक्सेना, उप-अंकेक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक(अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, विदिशा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(464-Y)

विदिशा, दिनांक 30 मई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/727.-कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार कामगार खनिज सहकारी संस्था मर्या., चोड़ाखेड़ी, तहसील सिरोंज के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 26 दिसम्बर, 1997 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये कामगार खनिज सहकारी संस्था मर्या., चोड़ाखेड़ी, तहसील सिरोंज को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन "कारण बताओ सूचना-पत्र" क्रमांक/परिसमापन/2016/327, विदिशा, दिनांक 03 मार्च, 2016 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है. उपरोक्त कारण से कामगार खनिज सहकारी संस्था मर्या., चोड़ाखेड़ी, तहसील सिरोंज को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, कामगार खनिज सहकारी संस्था मर्या., चोड़ाखेड़ी, तहसील सिरोंज, पंजीयन क्रमांक डी.आर/ व्ही.डी.एस./555, दिनांक 26 दिसम्बर, 1997 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री अनिल सक्सेना, उप-अंकेक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक(अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, विदिशा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

भूपेन्द्र प्रताप सिंह,

(464-Z) उप पंजीयक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, जिला खरगौन

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत]

श्रद्धा साख सहकारी संस्था मर्या., खरगौन, तहसील व जिला खरगौन का पंजीयन क्रमांक 1804, दिनांक 10 मार्च, 2014 (संपरिवर्तित) को कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1592, दिनांक 22 दिसम्बर, 2004 द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री आर. के. महाजन, सहकारी निरीक्षक द्वारा दिनांक 25 दिसम्बर, 2015 को सदस्यों की विशेष आमसभा आयोजित की गई. जिसमें आगामी दो वर्षों की कार्ययोजना बनाकर संस्था को पुनर्जीवित हेतु निर्णय लिया गया.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5/1/99/पन्द्रह/1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा अधिनियम-69(4) के अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए सदस्यों के व्यापक हित में श्रद्धा साख सहकारी संस्था मर्या., खरगौन, तहसील व जिला खरगौन का पंजीयन क्रमांक 1804, दिनांक 10 मार्च, 2014 निम्न शर्तों के साथ पुनर्जीवित किया जाता है.

1. समिति की प्रस्तुत कार्ययोजना अनुसार अपना कार्य 3 माह में व्यवसाय समिति के उपविधि के अनुरूप करना सुनिश्चित करेगी एवं प्रगति से कार्यालय को अवगत कराएगी.
2. समिति प्रत्येक वित्तिय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् दो माह के भीतर अंकेक्षण हेतु संस्था के वित्तिय पत्रक एवं अन्य अभिलेख कार्यालय को अनिवार्यत: प्रस्तुत करेगी.
3. समिति की तद्र्थ प्रबंधकारिणी समिति तीन माह के भीतर निर्वाचन कराये जाने हेतु विधिवत प्रस्ताव कार्यालय में प्रस्तुत करेगी.

4. नामांकित अवधि में संचालक मण्डल द्वारा प्रस्तावित कार्ययोजना अनुसार संचालन न करने पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी.
5. समिति की पुरानी लाभ-हानि एवं समस्त लेनदारी-देनदारी के निराकरण की जिम्मेदारी समिति की होगी.
6. समिति की नामांकित प्रबंधकारिणी निर्वाचन होने तक श्री आर. के. महाजन, सहकारी निरीक्षक के नियंत्रण एवं मार्गदर्शन में कार्य करेगी एवं प्रत्येक गतिविधियों से अवगत करायेगी.

संस्था की कार्य संचालन हेतु प्रस्तावित निम्नांकित कार्यकारिणी समिति तीन माह हेतु नामांकित की जाती है, जो उपर्युक्त शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगी.

नामांकित कार्यकारिणी :—

1.	श्री अखिलेश नरेन्द्र बार्चे	अध्यक्ष
2.	श्री मनमोहन सिताराम	उपाध्यक्ष
3.	श्री कमलेश देवीसिंह	संचालक
4.	श्री मनोज कैलाश	संचालक
5.	श्री गिरीश मदनलाल	संचालक
6.	श्री संजय कृष्णलाल	संचालक
7.	श्रीमति आनंदी मोहनलाल	संचालक
8.	श्रीमति संगीता श्रीकृष्ण	संचालक
9.	श्री दिप्तेश सुरेशचन्द्र	संचालक
10.	श्री विवेक मोहन	संचालक
11.	श्री विराट बाबुलाल	संचालक

यह आदेश आज दिनांक 30 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

बी. एस. अलावा,
उप पंजीयक.

(465)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, जिला होशंगाबाद

होशंगाबाद, दिनांक 30 मई, 2016

संशोधित आदेश

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/985.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत पूर्व में समय-समय पर प्रसारित आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुये मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा जो मुझे प्रदत्त हैं, पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री व्ही. आर. दुबे, अंकेक्षण अधिकारी के स्थान पर श्री आर. के. पाटिल, अंकेक्षण अधिकारी को अधोलिखित परिसमापित सहकारी संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ :—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	पूर्व प्रसारित आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	आगन चेतना गृह निर्माण सहकारी समिति, सिवनी मालवा	2432/15-6-1994	858/11-06-2009

यह आदेश आज दिनांक 30 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(466)

होशंगाबाद, दिनांक 30 मई, 2016

संशोधित आदेश

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/985.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत पूर्व में समय-समय पर

प्रसारित आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुये मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा जो मुझे प्रदत्त हैं, पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री जयश्री राठौर, सहकारी निरीक्षक के स्थान पर श्री डी. पी. पाल, उप-अंकेक्षक को अधोलिखित परिसमापित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त करता हूँ :—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	पूर्व प्रसारित आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	स्वामी विवेकानन्द साख सहकारी समिति, होशंगाबाद	3023/26-02-2009	337/07-03-2015
2.	राम रहीम साख सहकारी समिति, होशंगाबाद	3022/26-02-2009	337/07-03-2015
3.	नेहा साख सहकारी समिति, होशंगाबाद	2982/01-03-2007	337/07-03-2015
4.	पूजा साख सहकारी समिति, होशंगाबाद	2921/01-03-2007	337/07-03-2015
5.	रिया साख सहकारी समिति, होशंगाबाद	2922/01-03-2007	337/07-03-2015
6.	माँ वीजासेन साख सहकारी समिति, होशंगाबाद	2925/05-04-2007	337/07-03-2015
7.	रमाशंकर साख सहकारी समिति, होशंगाबाद		337/07-03-2015

यह आदेश आज दिनांक 30 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(466-A)

होशंगाबाद, दिनांक 30 मई, 2016

संशोधित आदेश

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/988.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत पूर्व में समय-समय पर प्रसारित आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुये मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा जो मुझे प्रदत्त हैं, पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री आर. एस. जाट, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक के स्थान पर श्री एस. के. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को अधोलिखित परिसमापित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त करता हूँ :—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	पूर्व प्रसारित आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	तिलहन उत्पा. सहकारी समिति, डूडागांव	2197/30-07-1987	1834/09-11-2000
2.	तिलहन उत्पा. सहकारी समिति, भमेड़ी	2203/30-07-1983	1818/09-11-2000
3.	तिलहन उत्पा. सहकारी समिति, भैंसादेह	2358/22-09-1991	1026/11-07-2001
4.	तिलहन उत्पा. सहकारी समिति, भरलाय	2135/26-08-1982	1029/11-07-2001
5.	तिलहन उत्पा. सहकारी समिति, चांदौन	2233/12-10-1984	1258/22-08-2000
6.	सुशीला देवी मत्स्यउद्योग सहकारी समिति, होशंगाबाद	2913/08-02-2007	708/29-03-2014
7.	सांईनाथ महिला बहु. सहकारी समिति, बिछुआ	3000/25-08-2008	760/29-03-2014
8.	गोकुल ग्राम विकास सहकारी समिति, बिछुआ	2858/06-07-2005	752/29-03-2014
9.	न्यू इंडिया साख सहकारी समिति, बनेखेड़ी		1067/10-09-2013
10.	यूनाइटेड साख सहकारी समिति, पिपरिया		1067/10-09-2013
11.	चामुण्डा साख सहकारी समिति, बनखेड़ी		1067/10-09-2013
12.	माँ शारदा साख सहकारी समिति, पिपरिया		1067/10-09-2013
13.	जय भवानी साख समिति, पिपरिया		

यह आदेश आज दिनांक 30 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(466-B)

होशंगाबाद, दिनांक 30 मई, 2016

संशोधित आदेश

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/989.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत पूर्व में समय-समय पर प्रसारित आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुये मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा जो मुझे प्रदत्त हैं, पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये सुश्री ज्योति सोनी, सहकारी निरीक्षक के स्थान पर सुश्री विनीता चौधरी, सहकारी निरीक्षक को अधोलिखित परिसमापित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त करता हूँ :—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	पूर्व प्रसारित आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	तक्षशिला महिला बड़ीपापड़ उद्योग, होशंगाबाद	448/13-01-1994	1041/07-08-2010
2.	उद्वन सिंचाई सहकारी समिति, जमानी	2796/17-10-2003	795/16-07-2013
3.	सतपुड़ा रेत खदान, केसला	2472/06-10-1995	795/16-07-2013
4.	नितिन प्राथ. उपभोक्ता भण्डार, इटारसी	2455/08-06-1995	682/29-03-2014
5.	मृत्युंजय यातायात सहकारी समिति, इटारसी	2816/18-08-2004	683/29-03-2014
6.	बजरंग प्राथ. उपभोक्ता भण्डार, इटारसी	2642/22-10-1997	684/29-03-2014
7.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, जमानी	2825/04-03-2005	700/29-03-2014
8.	माँ शारदा साख सहकारी समिति, इटारसी		1065/10-09-2013
9.	गुरू गोविंद सिंह साख सहकारी समिति, इटारसी		1065/10-09-2013
10.	महर्षि वाल्मिक साख सहकारी समिति, इटारसी		1065/10-09-2013
11.	माँ अन्नपूर्णा साख सहकारी समिति, इटारसी		1065/10-09-2013
12.	माँ लक्ष्मी साख सहकारी समिति, इटारसी		1065/10-09-2013
13.	राजीव गांधी साख सहकारी समिति, इटारसी		1065/10-09-2013

यह आदेश आज दिनांक 30 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

के. पाटनकर,
उप पंजीयक.

(466-C)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार

धार, दिनांक 31 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/537.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2014/1283, धार, दिनांक 25 अगस्त, 2014 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कोठडा, तह. मनावर, जिला धार, मध्यप्रदेश, जिसका पंजीयन क्रमांक 1142, दिनांक 23 दिसम्बर, 2002 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री के. के. जमरें, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, धार को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक श्री के. के. जमरें, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के नियुक्त परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कोठडा, तह. मनावर, जिला धार, मध्यप्रदेश का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(467)

धार, दिनांक 31 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/538.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2015/371, धार, दिनांक 24 मार्च, 2015 के द्वारा धाकड कृषि उत्पाद क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्या., राजोद, तह. सरदारपुर, जिला धार, मध्यप्रदेश, जिसका पंजीयन क्रमांक 1008, दिनांक 09 फरवरी, 1998 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. डी. माधवाचार्य, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, धार को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक श्री एस. डी. माधवाचार्य, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के नियुक्त परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत धाकड कृषि उत्पाद क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्या., राजोद, तह. सरदारपुर, जिला धार, मध्यप्रदेश का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(467-A)

धार, दिनांक 31 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/539.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2016/27, धार, दिनांक 04 जनवरी, 2016 के द्वारा अटल प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., बदनावर, तह. बदनावर, जिला धार, मध्यप्रदेश, जिसका पंजीयन क्रमांक 1283, दिनांक 30 अगस्त, 2011 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. सी. मालवीय, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, धार को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक श्री आर. सी. मालवीय, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के नियुक्त परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत अटल प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., बदनावर, तह. बदनावर, जिला धार, मध्यप्रदेश का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(467-B)

धार, दिनांक 31 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/540.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2015/148, धार, दिनांक 30 जनवरी, 2015 के द्वारा मयूर आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., बडगांव, तह. कुक्षी, जिला धार, मध्यप्रदेश, जिसका पंजीयन क्रमांक 1025, दिनांक 05 दिसम्बर, 1998 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री सी. बी. पाण्डे, उप-अंकेक्षक, धार को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक श्री सी. बी. पाण्डे, उप-अंकेक्षक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के नियुक्त परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मयूर आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., बडगांव, तह. कुक्षी, जिला धार, मध्यप्रदेश का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(467-C)

धार, दिनांक 31 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/541.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2016/24, धार, दिनांक 04 जनवरी, 2016 के द्वारा आदर्श को. ऑप. स्टेशनरी एवं फर्नीचर गुड्स सर्विस सोसायटी मर्या., सरदारपुर, तह. सरदारपुर, जिला धार, मध्यप्रदेश, जिसका पंजीयन क्रमांक 1009, दिनांक 12 फरवरी, 1998 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. डी. माधवाचार्य, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, धार को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक श्री एस. डी. माधवाचार्य, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के नियुक्त परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत आदर्श को. ऑप. स्टेशनरी एवं फर्नीचर गुड्स सर्विस सोसायटी मर्या., सरदारपुर, तह. सरदारपुर, जिला धार, मध्यप्रदेश का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(467-D)

धार, दिनांक 31 मई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/808.— सागर एग्रोटेक साख सहकारी संस्था मर्या., घाटा बिल्लौद, जिला धार, जिसका पंजीयन कमांक 1476, दिनांक 08 जनवरी, 2014 है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 1499, दिनांक 23 सितम्बर, 2015 जारी किया गया था, जो संस्था को तामिल नहीं होने से पुनः कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 725, दिनांक 07 मई, 2016 जारी किया गया. संस्था का पत्र दिनांक 05 अप्रैल, 2016 से अवगत कराया गया कि संस्था विगत कई वर्षों से किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर रही है एवं भविष्य में भी चलाने की रुचि नहीं होने संबंधी पत्र प्रेषित किया है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम-1962 एवं पंजीकृत उपविधि के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है तथा विगत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी "डी" वर्ग देने एवं सहायक आयुक्त (अंके.), जिला धार से परिसमापन लाये जाने हेतु अनुशंसा प्राप्त होने से यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्यों के अनुरुप कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सागर एग्रोटेक साख सहकारी संस्था मर्या., घाटा बिल्लौद को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70(1) के अंतर्गत श्री सी. बी. पाण्डे, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

ओ. पी. गुप्ता,
उप रजिस्ट्रार.

(467-E)

कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाऐं, जिला धार

धार, दिनांक 30 मई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के उपनियम 57 (1) (सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/क्यू-1.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, जिला धार के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत निम्न सहकारी समितियों को परिसमापन में लाई जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	रैदास काष्ठकला उद्योग सह. सं. मर्या., सागौर	-	695/12-05-2014
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., महाराजखेडी	1172/19-03-2004	1469/23-08-2012

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1960 के उपनियम 57 (1) (सी/ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दो माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा, तदानुसार समिति की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 30 मई, 2016 को मेरे द्वारा जारी किया गया है.

डी. एस. निगम,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(468)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीयां, जिला सागर

सागर, दिनांक 24, 26 मई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1403.—शिवाजी महिला बहुउद्देश्यीय सहकारी समिति मर्या., खैरा, विकासखण्ड रेहली, जिला सागर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्र. 1087, दिनांक 09 फरवरी, 2004 है. कार्यालयीन आदेश क्र./विधि/1603, दिनांक 20 अगस्त, 2010 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री एन. के. खरे, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी, रेहली, जिला सागर द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी-देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीयां, सागर मध्यप्रदेश, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये शिवाजी महिला बहुउद्देश्यीय सहकारी समिति मर्या., खैरा, विकासखण्ड रेहली, जिला सागर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्र. 1087, दिनांक 09 फरवरी, 2004 का पंजीयन निरस्त करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (बाडी-कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(469)

सागर, दिनांक 24, 26 मई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1404.—आदर्श कृषक कल्याण सहकारी समिति मर्या., पटनाबुजुर्ग, विकासखण्ड रेहली, जिला सागर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्र. 1186, दिनांक 07 मार्च, 2005 है. कार्यालयीन आदेश क्र./विधि/2809, दिनांक 12 सितम्बर, 2011 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री एन. के. खरे, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी, रेहली, जिला सागर द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी-देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीयां, सागर मध्यप्रदेश, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आदर्श कृषक कल्याण सहकारी समिति मर्या., पटनाबुजुर्ग, विकासखण्ड रेहली, जिला सागर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्र. 1186, दिनांक 07 मार्च, 2005 का पंजीयन निरस्त करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (बाडी-कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(469-A)

सागर, दिनांक 24, 26 मई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1405.—इंदिरा महिला ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., गढ़ाकोटा, विकासखण्ड रेहली, जिला सागर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्र. 1008, दिनांक 09 जनवरी, 2003 है. कार्यालयीन आदेश क्र./विधि/2785, दिनांक 12 सितम्बर, 2011 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री एन. के. खरे, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी, रेहली, जिला सागर द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी-देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

Aver (17-6-2016)

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीयां, सागर मध्यप्रदेश, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये इंदिरा महिला ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., गढ़ाकोटा, विकासखण्ड रेहली, जिला सागर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्र. 1008, दिनांक 09 जनवरी, 2003 का पंजीयन निरस्त करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (बाडी-कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(469-B)

सागर, दिनांक 24, 26 मई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1406.—ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., गढ़ाकोटा, विकासखण्ड रेहली, जिला सागर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्र. 703, दिनांक 19 अगस्त, 1997 है. कार्यालयीन आदेश क्र./विधि/2786, दिनांक 12 सितम्बर, 2011 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री एन. के. खरे, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी, रेहली, जिला सागर द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी-देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीयां, सागर मध्यप्रदेश, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., गढ़ाकोटा, विकासखण्ड रेहली, जिला सागर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्र. 703, दिनांक 19 अगस्त, 1997 का पंजीयन निरस्त करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (बाडी-कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(469-C)

सागर, दिनांक 24, 26 मई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1407.—महिला बहुउद्देश्यीय सहकारी समिति मर्या., चन्द्रापुर, विकासखण्ड मालथोन, जिला सागर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्र. 1211, दिनांक 02 अगस्त, 2005 है. कार्यालयीन आदेश क्र./विधि/712, दिनांक 24 अप्रैल, 2013 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री आर. के. राठौर, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी, मालथोन, जिला सागर द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी-देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीयां, सागर मध्यप्रदेश, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये महिला बहुउद्देश्यीय सहकारी समिति मर्या., चन्द्रापुर, विकासखण्ड मालथोन, जिला सागर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्र. 1211, दिनांक 02 अगस्त, 2005 का पंजीयन निरस्त करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (बाडी-कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(469-D)

सागर, दिनांक 24, 26 मई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1408.—पिछड़ा वर्ग मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., हीरापुर, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्र. 1161, दिनांक 09 नवम्बर, 2004 है. कार्यालयीन आदेश क्र./विधि/2874, दिनांक 12 सितम्बर, 2012 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री आर. जे. खरे, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी, बण्डा, जिला सागर द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी-देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीयां, सागर मध्यप्रदेश, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999

द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये पिछड़ा वर्ग मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., हीरापुर, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्र. 1161, दिनांक 09 नवम्बर, 2004 का पंजीयन निरस्त करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(469-E)

सागर, दिनांक 24, 26 मई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1409.—महिला बहुउद्देश्यीय सहकारी समिति मर्या., बमाना, विकासखण्ड बण्डा, जिला सागर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्र. 1196, दिनांक 15 अप्रैल, 2005 है. कार्यालयीन आदेश क्र./विधि/710, दिनांक 24 अप्रैल, 2013 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री आर. जे. खरे, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी, बण्डा, जिला सागर द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी-देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीयां, सागर मध्यप्रदेश, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये महिला बहुउद्देश्यीय सहकारी समिति मर्या., बमाना, विकासखण्ड बण्डा, जिला सागर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्र. 1196, दिनांक 15 अप्रैल, 2005 का पंजीयन निरस्त करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

पी. आर. कावड़कर,
उप पंजीयक.

(469-F)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छिन्दवाड़ा

छिन्दवाड़ा, दिनांक 13 मई, 2016

संशोधित आदेश

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1613.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपछि/परि/2016/1526, दिनांक 05 मई, 2016 में तकनीकी त्रुटियों के कारण परिसमापित सहकारी संस्थाओं के नाम संशोधित किया जाना आवश्यक हो गया है. अतः पूर्व की उक्त आदेश की परिसमापित संस्थाओं के स्थान पर निम्नानुसार परिसमापित संस्थाएं एवं परिसमापक के नाम पढ़ा जावे:—

स. क्र.	सहकारी समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक
1	2	3	4
1.	जय अम्बे बुनकर सहकारी समिति मर्या., सौंसर	67/12-03-1984	स. वि. अ. सौंसर
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भुम्मा	816/10-01-2014	स. वि. अ. सौंसर
3.	लक्ष्मी बुनकर सहकारी समिति मर्या., सौंसर	58/03-03-1984	स. वि. अ. सौंसर
4.	दि मोहगांव बुनकर सहकारी समिति मर्या., मोहगांव हवेली	564/31-01-1947	स. वि. अ. सौंसर
5.	पंचशील बुनकर सहकारी समिति मर्या., सौंसर	255/22-03-1965	स. वि. अ. सौंसर
6.	शिवाजी बुनकर सहकारी समिति मर्या., लोधीखेड़ा	60/03-03-1984	स. वि. अ. सौंसर
7.	भोलेनाथ बुनकर सहकारी समिति मर्या., मोहगांव, हवेली	377/25-11-1978	स. वि. अ. सौंसर
8.	कुशल बुनकर सहकारी समिति मर्या., मोहगांव, हवेली	66/09-03-1984	स. वि. अ. सौंसर
9.	लोधीखेड़ा खादी उद्योग सहकारी समिति मर्या., लोधीखेड़ा	37/07-03-1960	स. वि. अ. सौंसर
10.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बेरडी	776/01-03-2012	स. वि. अ. सौंसर
11.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मोहगांव	813/10-01-2014	स. वि. अ. सौंसर
12.	ओम सांईनाथ बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., बडोसा	977/10-01-2014	स. वि. अ. सौंसर
13.	सांई बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., जाम (सांवली)	981/10-01-2014	स. वि. अ. सौंसर

1	2	3	4
14.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खमरा, अड़कू	54/17-06-1998	स. वि. अ. अमरवाड़ा
15.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खिरेटी	718/21-12-2009	स. वि. अ. अमरवाड़ा
16.	खुटियाढ़ाना दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खुटियाढ़ाना	725/21-05-2010	स. वि. अ. अमरवाड़ा
17.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बिनेकी	730/26-05-2010	स. वि. अ. अमरवाड़ा
18.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बम्हनीलाला	732/26-05-2010	स. वि. अ. अमरवाड़ा
19.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., थांवरीखुर्द	761/22-11-2011	स. वि. अ. अमरवाड़ा
20.	मेहलोन दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मेहलोन	803/26-05-2012	स. वि. अ. अमरवाड़ा
21.	दुग्ध उत्पादक प्राथमिक महिला सहकारी समिति मर्या., सुखारीकला	1023/29-09-2014	स. वि. अ. अमरवाड़ा
22.	दुग्ध उत्पादक प्राथमिक महिला सहकारी समिति मर्या., छुई	1027/29-03-2014	स. वि. अ. अमरवाड़ा
23.	दुग्ध उत्पादक प्राथमिक महिला सहकारी समिति मर्या., पीपलपानी	1030/14-10-2014	स. वि. अ. अमरवाड़ा
24.	दुग्ध उत्पादक प्राथमिक महिला सहकारी समिति मर्या., धसनवाड़ा	1033/29-09-2014	स. वि. अ. अमरवाड़ा
25.	दुग्ध उत्पादक प्राथमिक महिला सहकारी समिति मर्या., अकलमा	1041/14-10-2014	स. वि. अ. अमरवाड़ा
26.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., ढाना	534/13-12-1995	स. वि. अ. अमरवाड़ा
27.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बिछुआ	579/17-06-1998	स. वि. अ. अमरवाड़ा
28.	दुग्ध उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., कुर्सीपार	1044/14-10-2014	स. वि. अ. अमरवाड़ा
29.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कचरिया	88/22-11-2011	स. वि. अ. छिन्दवाड़ा
30.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., नेर	458/08-12-1994	स. वि. अ. छिन्दवाड़ा
31.	मधुबन गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., छिन्दवाड़ा	47/02-04-1981	स. वि. अ. छिन्दवाड़ा
32.	ग्लोबल साख प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., छिन्दवाड़ा	838/10-01-2014	स. वि. अ. छिन्दवाड़ा
33.	माँ बंजारी महिला स्व सहायता प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., छिन्दवाड़ा	836/10-01-2014	स. वि. अ. छिन्दवाड़ा
34.	प्रियदर्शिनी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., चंदनगांव	601/18-01-2000	स. वि. अ. छिन्दवाड़ा
35.	दुग्ध उत्पादक प्राथमिक महिला सहकारी समिति मर्या., अतरवाड़ा	1028/14-10-2014	स. वि. अ. छिन्दवाड़ा
36.	8वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल कर्म. साख प्राथ. सह. समिति मर्या., छिन्दवाड़ा	819/10-01-2014	स. वि. अ. छिन्दवाड़ा
37.	आदर्श बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., छिन्दवाड़ा	830/10-01-2014	स. वि. अ. छिन्दवाड़ा
38.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चांगोबा	782/16-03-2012	स. वि. अ. पांढुर्णा
39.	बड़चिचोली दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बड़चिचोली	785/16-03-2012	स. वि. अ. पांढुर्णा
40.	दुग्ध उत्पादक प्राथमिक महिला सहकारी समिति मर्या., कोण्डाली	1021/29-09-2014	स. वि. अ. पांढुर्णा
41.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सेंदुरजना	791/28-04-2012	स. वि. अ. पांढुर्णा
42.	दुग्ध उत्पादक प्राथमिक महिला सहकारी समिति मर्या., सातभाईढाना	1029/14-10-2014	स. वि. अ. पांढुर्णा
43.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गौरीढ़ाना	812/10-01-2014	स. वि. अ. पांढुर्णा
44.	चाटवा दुग्ध उत्पादक प्राथमिक महिला सहकारी समिति मर्या., चाटवा	1047/10-01-2014	स. वि. अ. पांढुर्णा
45.	मत्स्योद्योग प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., टेमनी	824/10-01-2014	स. वि. अ. पांढुर्णा
46.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., टेमनीकला	364/24-01-1992	स. वि. अ. पांढुर्णा
47.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मडुआ	459/20-12-1994	स. वि. अ. चौरई
48.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., समसवाड़ा	461/20-12-1994	स. वि. अ. चौरई
49.	दुग्ध उत्पादक प्राथमिक महिला सहकारी समिति मर्या., हरदोली	1032/29-09-2014	स. वि. अ. चौरई

1	2	3	4
50.	दुग्ध उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., लोनीकला	1043/14-10-2014	स. वि. अ. चौरई
51.	पुरा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पुरा	771/01-03-2012	स. वि. अ. परासिया
52.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., तालपिपरिया	583/17-06-1998	स. वि. अ. परासिया
53.	दुग्ध उत्पादक प्राथमिक महिला सहकारी समिति मर्या., डोंगरपरासिया	1069/18-01-2016	स. वि. अ. परासिया
54.	आस्था कर्म. उपभोक्त भण्डार सिरगोरा	702/09-01-2008	स. वि. अ. परासिया
55.	महाशक्ति महिला बहु. समि. मर्या., छिंदा पिंडरई	658/01-03-2005	स. वि. अ. परासिया
56.	कन्हान बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., सिंदरई गुरैयाथार	890/10-01-2014	स. वि. अ. परासिया
57.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कोंडरा	427/14-12-1993	स. वि. अ. तामिया
58.	पठरानाई दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पठरानाई	760/17-06-2011	स. वि. अ. मोहखेड़
59.	पालाखेड़ दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पालाखेड़	738/03-08-2011	स. वि. अ. मोहखेड़
60.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खूनाझिरकला	671/15-12-2005	स. वि. अ. मोहखेड़
61.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मैनीखापा	719/21-12-2009	स. वि. अ. मोहखेड़
62.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., तिकाड़ी	366/24-01-1992	स. वि. अ. मोहखेड़
63.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मुजावरमाल	380/16-09-1992	स. वि. अ. मोहखेड़
64.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., उल्हावाड़ी	543/26-03-1996	स. वि. अ. बिछुआ
65.	भुमका दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भुमका	727/22-05-2010	स. वि. अ. हर्रई
66.	दुग्ध उत्पादक प्राथमिक महिला सहकारी समिति मर्या., भेड़ा	1056/06-06-2015	स. वि. अ. हर्रई
67.	दुग्ध उत्पादक प्राथमिक महिला सहकारी समिति मर्या., कुण्डाली	1058/06-06-2015	स. वि. अ. हर्रई
68.	गायत्री श्रम ठेका प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., जुन्नारदेव	827/10-01-2014	स. वि. अ. जुन्नारदेव
69.	बालाजी प्राथ. उप. भण्डार जुन्नारदेव	526/21-06-1995	स. वि. अ. जुन्नारदेव
70.	शिवशक्ति प्राथ. उप. भण्डार जुन्नारदेव	688/03-04-2007	स. वि. अ. जुन्नारदेव
71.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खैरवानी	797/28-04-2012	स. वि. अ. जुन्नारदेव
72.	आदिवासी विकास मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., नवेगांव	665/16-08-2015	स. वि. अ. जुन्नारदेव

एवं आदेश देती हूँ कि परिसमापक अंतिम प्रतिवेदन दो माह की अवधि में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें. यह संशोधित आदेश आज दिनांक 13 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

यह संशोधित आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

अनीता उईके,
उप-रजिस्ट्रार.

(470)

कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला शाजापुर

शाजापुर, दिनांक 26 मई, 2016

क्र./परि./2016/534.—माँ उमिया बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., देंदला, तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर पंजीयन क्रमांक-1132, दिनांक 22 नवम्बर, 2014 को अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/366, शाजापुर, दिनांक 11 अप्रैल, 2016 जारी किया गया था. क्यों न संस्था को सूचना-पत्र में दर्शाये कारणों से परिसमापन में लाया जाये. कारण बताओ सूचना-पत्र में निम्न बिन्दु नियत किये गये थे.

1. संस्था अध्यक्ष द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने हेतु आवेदन दिया गया है.
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है.
3. निर्वाचन अधिकारी द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने एवं पंजीयन निरस्त करने हेतु लिखित आवेदन किया गया है.

इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (सी) का उल्लंघन किया गया है. संस्था को रजिस्टर्ड डाक से कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से नियत समयावधि में उत्तर प्रेषित करने हेतु लिखा गया था.

संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि 12-05-2016 को समाप्त हो जाने के पश्चात आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने में संस्था को कोई आपत्ति नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अत: मैं, मीना डाबर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माँ उमिया बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., देंदला, तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर पंजीयन क्रमांक-1132, दिनांक 22 नवम्बर, 2014 को आज दिनांक 26 मई, 2016 से परिसमापन में लाती हूँ तथा श्री नवीन शर्मा, व.स.नि. को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करें तथा अंतिम प्रतिवेदन नियमानुसार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 26 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(471)

शाजापुर, दिनांक 26 मई, 2016

क्र./परि./2016/535.—अम्बिका बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सखेडी, तहसील गुलाना, जिला शाजापुर पंजीयन क्रमांक-1124, दिनांक 11 नवम्बर, 2014 को अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/368, शाजापुर, दिनांक 11 अप्रैल, 2016 जारी किया गया था. क्यों न संस्था को सूचना-पत्र में दर्शाये कारणों से परिसमापन में लाया जाये. कारण बताओ सूचना-पत्र में निम्न बिन्दु नियत किये गये थे.

1. संस्था अध्यक्ष द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने हेतु आवेदन दिया गया है.
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है.

इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (सी) का उल्लंघन किया गया है. संस्था को रजिस्टर्ड डाक से कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से नियत समयावधि में उत्तर प्रेषित करने हेतु लिखा गया था.

संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि 12-05-2016 को समाप्त हो जाने के पश्चात आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने में संस्था को कोई आपत्ति नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अत: मैं, मीना डाबर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अम्बिका बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सखेडी, तहसील गुलाना, जिला शाजापुर पंजीयन क्रमांक-1124, दिनांक 11 नवम्बर, 2014 को आज दिनांक 26 मई, 2016 से परिसमापन में लाती हूँ तथा श्री एल. पी. जोशी, व.स.नि.को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करें तथा अंतिम प्रतिवेदन नियमानुसार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 26 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(471-A)

शाजापुर, दिनांक 26 मई, 2016

क्र./परि./2016/536.—सरदार पटेल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भवरासा, तहसील मो. बडोदिया, जिला शाजापुर पंजीयन क्रमांक-1180, दिनांक 26 दिसम्बर, 2014 को अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/367, शाजापुर, दिनांक 11 अप्रैल, 2016 जारी किया गया था. क्यों न संस्था को सूचना-पत्र में दर्शाये कारणों से परिसमापन में लाया जाये. कारण बताओ सूचना-पत्र में निम्न बिन्दु नियत किये गये थे.

1. संस्था अध्यक्ष द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने हेतु आवेदन दिया गया है.
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है.
3. निर्वाचन अधिकारी द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने एवं पंजीयन निरस्त करने हेतु लिखित आवेदन किया गया है.

Acer (17-6-2016)

इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (सी) का उल्लंघन किया गया है. संस्था को रजिस्टर्ड डाक से कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से नियत समयावधि में उत्तर प्रेषित करने हेतु लिखा गया था.

संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि 12-05-2016 को समाप्त हो जाने के पश्चात आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने में संस्था को कोई आपत्ति नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अत: मैं, मीना डाबर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरदार पटेल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भवरासा, तहसील मो. बडोदिया, जिला शाजापुर पंजीयन क्रमांक-1180, दिनांक 26 दिसम्बर, 2014 को आज दिनांक 26 मई, 2016 से परिसमापन में लाती हूँ तथा श्री नवीन शर्मा, व.स.नि.को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करें तथा अंतिम प्रतिवेदन नियमानुसार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 26 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(471-B)

शाजापुर, दिनांक 27 मई, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारिणी समिति,

कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., शुजालपुर

तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर.

पंजीयन क्रमांक 116, दिनांक 23-02-1979, जिला शाजापुर.

विषय:-मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./2016/542.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रेदश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावें:-

1. संस्था गत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है.
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्धेश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.

अत: मैं, मीना डाबर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) एवं सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-1999/15/1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करती हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अंदर कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 28 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधान कारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर की आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

मीना डाबर,
उप पंजीयक.

(472)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2016

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 जून, 2016-आषाढ़ 3, शके 1938

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 23 मार्च, 2016

1. **मौसम एवं वर्षा.**--राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.

2. **जुताई.**- जिला दमोह में जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**- जिला दमोह में बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति-**

5. **कटाई.**- जिला मुरैना में फसल सरसों व धार, होशंगाबाद में गेहूँ व बुरहानपुर में चना, गेहूँ व कटनी में गेहूँ, चना, मसूर व भोपाल में गेहूँ, चना, मसूर, मटर, तिवड़ा व पन्ना, सीधी, इन्दौर, खरगौन, सीहोर, सिवनी व बालाघाट में रबी फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. **सिंचाई.**- जिला ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, पन्ना, सागर, दमोह, रीवा, शहडोल, उमरिया, सिंगरौली, नीमच, झाबुआ, बड़वानी, बुरहानपुर, भोपाल, सीहोर, रायसेन, डिण्डोरी व सिवनी में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**- राज्य के प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**- राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**- राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**- राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 23 मार्च, 2016

क्र. जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि. मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. सरसों की कटाई का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. . . 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह	. .				
2. पोरसा	. .				
3. मुरैना	. .				
4. जौरा	. .				
5. सबलगढ़	. .				
6. कैलारस	. .				
2. जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) तुअर, गन्ना, गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर	. .				
2. कराहल	. .				
3. विजयपुर	. .				
3. जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर	. .				
2. भिण्ड	. .				
3. गोहद	. .				
4. मेंहगांव	. .				
5. लहार	. .				
6. मिहोना	. .				
7. रौन	. .				
4. जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गन्ना, उड़द, मूँग, तुअर, मूँगफली समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	. .				
2. डबरा	. .				
3. भितरवार	. .				
4. घाटीगांव	. .				
5. जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, सरसों, गन्ना, जौ, समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	. .				
2. दतिया	. .				
3. भाण्डेर	. .				
6. जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	. .				
2. पिछोर	. .				
3. खनियाधाना	. .				
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	. .				
7. पोहरी	. .				
8. बदरवास	. .				

Acer (17-6-2016)

(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7. जिला अशोकनगर	:मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. मुँगावली	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. अशोकनगर	. .				
4. चन्देरी	. .				
5. शाढौरा	. .				
8. जिला गुना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	. .		4. (1) गेहूँ, चना, सरसों, मसूर	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	. .		समान.	चारा पर्याप्त.	
3. बमोरी	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. कुम्भराज	. .				
9. जिला टीकमगढ़	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	. .		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	. .		राई-सरसों समान.	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. टीकमगढ़	. .				
5. बल्देवगढ़	. .				
6. पलेरा	. .				
7. ओरछा	. .				
10. जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. लव-कुश नगर	. .		4. (1) तिल अधिक. तुअर कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	. .				
4. छतरपुर	. .				
5. राजनगर	. .				
6. बिजावर	. .				
7. बड़ामलहरा	. .				
8. बक्सवाहा	. .				
11. जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. अजयगढ़	. .	का कार्य चालू है.	4. (1) तिल, गेहूँ, चना, जौ, राई-	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	. .		सरसों, मटर., आलू, प्याज.	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	. .		(2) . .		
4. पवई	. .				
5. शाहनगर	. .				
12. जिला सागर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	. .		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	. .		तिवड़ा, राई-सरसों, अलसी	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	. .		आलू, प्याज कम.		
4. सागर	. .		(2) . .		
5. रेहली	. .				
6. देवरी	. .				
7. गढ़ाकोटा	. .				
8. राहतगढ़	. .				
9. केसली	. .				
10. मालथोन	. .				
11. शाहगढ़	. .				

Acer (17-6-2016)

(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13. जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	. .		4. (1) तुअर, गेहूँ, चना, मटर, मसूर राई-सरसों, गन्ना समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. दमोह	. .				
4. पथरिया	. .				
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
14. जिला सतना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. रघुराजनगर	. .		4. (1) अरहर, गेहूँ, चना, अलसी, मसूर, राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. रामपुर-बघेलान	. .				
4. नागौद	. .				
5. उचेहरा	. .				
6. अमरपाटन	. .				
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	. .				
9. बिरसिंहपुर	. .				
15. जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	. .		4. (1) चना, जौ, राई-सरसों अधिक, गेहूँ कम, मसूर, अलसी, अरहर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	. .		(2) . .		
3. मऊगंज	. .				
4. हनुमना	. .				
5. हजूर	. .				
6. गुढ़	. .				
7. रायपुरकर्चुलियान	. .				
16. जिला शहडोल:	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	. .		4. (1) चना, तुअर राई-सरसों, गेहूँ, मसूर, मटर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. जैसिंहनगर	. .				
4. जैतपुर	. .				
17. जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	. .		4. (1) चना अधिक, राहर, राई-सरसों, गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	. .		(2) . .		
3. कोतमा	. .				
4. पुष्पराजगढ़	. .				
18. जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	. .		4. (1) तुअर अधिक, राई-सरसों, अलसी, चना, गेहूँ, मसूर.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाली	. .		(2) . .		
3. मानपुर	. .				
19. जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. . .
1. गोपदबनास	. .		4. (1) चना, अलसी, राई-सरसों, गेहूँ, मसूर, जौ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मझौली	. .				
4. कुसमी	. .				
5. चुरहट	. .				
6. रामपुरनैकिन	. .				

Seer (17-6-2016)

(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
20. जिला सिंगरौली	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	. .		4. (1) मसूर, चना, राई-सरसों, जौ, गेहूँ अधिक. अलसी कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .		(2) . .		
3. सिंगरौली	. .				
21. जिला मंदसौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सुवासराटप्पा	. .		4. (1) चना अधिक. गेहूँ, राई-सरसों कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	. .		(2) . .		
3. मल्हारगढ़	. .				
4. गरोठ	. .				
5. मंदसौर	. .				
6. श्यामगढ़	. .				
7. सीतामऊ	. .				
8. धुंधड़का	. .				
9. संजीत	. .				
10. कयामपुर	. .				
22. जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	. .		4. (1) राई-सरसों, मसूर, मटर अधिक.गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. नीमच	. .		(2) . .		
3. मनासा	. .				
23. जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	. .		4. (1) गेहूँ, चना, कपास समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आलोट	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. पिपलोदा	. .				
6. रतलाम	. .				
24. जिला उज्जैन :*	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5.	7. . .
1. खाचरौद	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. महिदपुर	. .		(2) . .		
3. तराना	. .				
4. घटिया	. .				
5. उज्जैन	. .				
6. बड़नगर	. .				
7. नागदा	. .				
25. जिला आगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. बड़ौद	. .		4. (1) गेहूँ, चना.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	. .		(2) . .		
3. नलखेड़ा	. .				
4. आगर	. .				
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. मोहम्मद बड़ोदिया	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. शुजालपुर	. .				
4. कालापीपल	. .				
5. गुलाना	. .				

Aver (17-6-2016)

(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
27. जिला देवास :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	. .		4. (1) चना अधिक, गेहूँ समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. देवास	. .				
4. बागली	. .				
5. कन्नोद	. .				
6. खातेगांव	. .				
28. जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. थांदला	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मक्का समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	. .				
29. जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जोवट	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मूँगमोठ.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कट्टीवाड़ा	. .				
4. सोंडवा	. .				
5. भामरा	. .				
30. जिला धार :	मिलीमीटर	2. गेहूँ की कटाई का कार्य	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. बदनावर	. .	चालू है.	4. (1) गेहूँ, चना, गन्ना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	. .		कपास कम.	चारा पर्याप्त.	
3. धार	. .		(2) . .		
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
8. डही	. .				
31. जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .	का कार्य चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	. .				
4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)	. .				
32. जिला खरगोन :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .	का कार्य चालू है.	4. (1) मक्का, बाजरा, कपास,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	. .		मूँगफली, अलसी, राई-	चारा पर्याप्त.	
3. सेगांव	. .		सरसों अधिक. ज्वार, धान,		
4. खरगोन	. .		तुवर, गेहूँ, चना कम.		
5. गोगावां	. .		(2) . .		
6. कसरावद	. .				
7. भगवानपुरा	. .				
8. भीकनगांव	. .				
9. झिरन्या	. .				

(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
33. जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	. .		4. (1) गन्ना अधिक, गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ठीकरी	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. राजकोट	. .				
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. निवाली	. .				
34. जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	. .				
35. जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. फसल चना, गेहूँ की	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	. .	कटाई का कार्य चालू है.	4. (1) कपास, मूँगफली सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	. .				
36. जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जीरापुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	. .				
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. पचोर	. .				
7. नरसिंहगढ़	. .				
37. जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	. .				
4. बासोदा	. .				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	. .				
7. गुलाबगंज	. .				
8. ग्यारसपुर	. .				
38. जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. गेहूँ, चना, मसूर, मटर,	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .	तिवड़ा की कटाई का	4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, मटर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	. .	कार्य चालू है.	तिवड़ा अधिक.	चारा पर्याप्त.	
			(2) . .		
39. जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	. .	का कार्य चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. इछावर	. .				
4. नसरुल्लागंज	. .				
5. बुधनी	. .				

(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
40. जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	. .		4. (1) गेहूँ, तिल, लाख, तिवड़ा अधिक. चना, मूँग कम. मटर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	. .				
3. बेगमगंज	. .				
4. गौहरगंज	. .		(2) . .		
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. बाड़ी	. .				
8. उदयपुरा	. .				
41. जिला बैतूल* :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5.	7. . .
1. भैंसदेही	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. घोड़ाडोंगरी	. .		(2) . .		
3. शाहपुर	. .				
4. चिचोली	. .				
5. बैतूल	. .				
6. मुलताई	. .				
7. आठनेर	. .				
8. आमला	. .				
42. जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. गेहूँ की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	. .		4. (1) गेहूँ, मटर, मसूर अधिक. चना कम. तुअर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	. .				
3. बावई	. .		(2) . .		
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. बनखेड़ी	. .				
8. पचमढ़ी	. .				
43. जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .		4. (1) गेहूँ, चना.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		(2) . .		
3. टिमरनी	. .				
44. जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोरा	. .		4. (1) मटर अधिक. गेहूँ, चना, मसूर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाटन	. .				
3. जबलपुर	. .		(2) . .		
4. मझोली	. .				
5. कुण्डम	. .				
45. जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. गेहूँ, चना, मसूर की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	. .		4. (1) अलसी, राई-सरसों, चना, गेहूँ, मसूर, मटर, जौ.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. रीठी	. .				
3. विजयराघवगढ़	. .		(2) . .		
4. बहोरीबंद	. .				
5. ढीमरखेड़ा	. .				
6. बरही	. .				

(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
46. जिला नरसिंहपुर* :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5.	7. . .
1. गाड़रवारा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. करेली	. .		(2) . .		
3. नरसिंहपुर	. .				
4. गोटेगांव	. .				
5. तेंदूखेड़ा	. .				
47. जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	. .		4. (1) चना, गेहूँ, मटर, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	. .		लाख, राई-सरसों, अलसी,	चारा पर्याप्त.	
3. नैनपुर	. .		समान.		
4. मण्डला	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. घुघरी	. .				
6. नारायणगंज	. .				
48. जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. डिण्डोरी	. .		4. (1) अलसी, गेहूँ, चना, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बजाग	. .		मटर, लाख समान.	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुरा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
49. जिला छिंदवाड़ा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिंदवाड़ा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	. .				
4. तामिया	. .				
5. सोंसर	. .				
6. पांढुर्णा	. .				
7. अमरवाड़ा	. .				
8. चौरई	. .				
9. बिछुआ	. .				
10. चांद	. .				
11. हर्रई	. .				
12. मोहखेड़ा	. .				
50. जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	. .	का कार्य चालू है.	4. (1) गेहूँ, जौ, राजगिर, चना,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	. .		मटर, मसूर, लाख, तिवड़ा,	चारा पर्याप्त.	
3. लखनादोन	. .		उड़द, मूँग, अरण्डी, राई-		
4. बरघाट	. .		सरसों, अलसी, कुसुम,		
5. उरई	. .		सूरजमुखी.		
6. घंसोर	. .		(2) . .		
7. घनोरा	. .				
8. छपारा	. .				
51. जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई	3. . .	5. . .	7. . .
1. बालाघाट	. .	का कार्य चालू है.	4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. लाँजी	. .		(2) . .		
3. बैहर	. .				
4. वारासिवनी	. .				
5. कटंगी	. .				
6. किरनापुर	. .				

टीप.-*जिला उज्जैन, बैतूल, नरसिंहपुर से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(463)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2016
Acer 117-6-2016)